झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–16/2022– 2490 **व०प०, राँची, दिनांक–** 25/08/2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची–834002।

विषय :– चाईबासा–टोन्टो–रोआम पथ के कि0मी0 0.00 से 58.825 कि0मी0 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 21.931 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–398 दिनांक–12.05.2022 एवं पत्रांक–632 दिनांक–13.07.2022 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित 21.931 हे0 वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(3) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध चाईबासा वन प्रमंडल अंतर्गत ग्राम–पालीसाई में चिन्हित 46.021 हे0 गैर वनभमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(4) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे के विरूद्ध सरायकेला वन प्रमंडल अंतर्गत ग्राम–सरूपडीह एवं गुहानाडीह में चिन्हित 46.538 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(5) विषयक प्रस्ताव में किए गए उल्लंघन के आलोक में Guidelines की कंडिका–1.21 में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप Penal Provision लागू होंगे।

(6) प्रस्ताव के पार्ट–II एवं पार्ट–III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में अधिरोपित शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(7) विषयक प्रस्ताव के क्रम में CWLW के पत्रांक–792 दिनांक–07.07.2022 के आलोक में अधिरोपित शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(8) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/8/2022

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–16/2022– 2490 व०प०, राँची, दिनांक– 25/08/2022

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2022

उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–16/2022– 2490 व०प०, राँची, दिनांक– 25/08/2022

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल, चाईबासा–833201 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2022

उप परामर्शी।

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- forestjhr@gmail.com

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 21.931 ha of Forest Land for Construction of Chaibasa-Tonto-Roam Road under Chaibasa Forest Division and Kolhan Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 21.931 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.-2490 dated-25/08/2022

25/8/2022

Rajdeep Sanjay Lal John
Joint Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

संयुक्त सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

(20)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 632 दिनांकः– 13/7/2022

13 JUL 2022
झारखण्ड, राँची

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **चाईबासा–टोन्टो–रोआम पथ के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 58.825 तक चौडीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 21.931 हे0 वनभूमि प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. इस कार्यालय के पत्रांक 398 दिनांक 12.05.2022
2. वन विभागीय पत्रांक 1526 दिनांक 01.06.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रासंगिक पत्र–1 के कंडिका 20 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय पत्रांक 792 दिनांक 07.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

13.07.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

13.7.22

2673
18/07/2022

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 2995
14 JUL 2022
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड
वन भवन, डोरण्डा, रांची-834002
Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

पत्रांक : 712 रांची दिनांक: 07/07/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषयः- चाईबासा-टोन्टो-रोआम पथ के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 58.825 तक चौडीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 21.931 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः- आपका ज्ञापांक 398 दिनांक 12.05.2022 एवं ज्ञापांक 476 दिनांक 09.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में क्षेत्रीय पदाधिकारियों- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक जमशेदपुर (पत्रांक 1124 दिनांक 22.06.22), वन संरक्षक चाईबासा का site inspection रिपोर्ट एवं पार्ट-II में उप वन संरक्षक चाईबासा वन प्रमंडल के मंतव्य से सहमत होते हुए अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत हैः-

2) विषयक प्रस्ताव अंतर्गत याचित/प्रस्तावित अपयोजन वनभूमि सिंघभूम गज आरक्ष के क्षेत्र में पड़ने विषयक अपयोजन प्रस्ताव से वनों एवं वन्यप्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने वाले क्षेत्र में समुचित संरक्षण/प्रबंधन करने, संभावित मानव-वन्यप्राणी द्वन्द से निपटने हेतु तथा इसके ईर्द-गिर्द हाथियों का आवागमन होने की स्थिति में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Integrated Site Specific Wildlife Conservation, Management and Mitigation Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

3) परियोजना हेतू राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 66 वीं बैठक दिनांक 31.12.2021 में NBWL द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वनों की भूमि के प्रबंधन के मामलों में लिए गए निर्णयों के सार (MoEF&CC F.No. 6-141/2021WL दिनांक 1 फरवरी 2022 द्वारा परिचालित) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रैखिक परियोजनाओं के लिए Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco-Friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife (2016)" द्वारा जारी मानक एसओपी/दिशानिर्देशों के प्रावधानों के पालन सहित, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी तथा वन संरक्षक के निर्देशन में Project cost पर वन्यजीव प्रबंधन योजना बनाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के दिशानिर्देश पुस्तिकाओं "Manual for Planning Wildlife Management in Protected Areas and Managed Forests by V.B. Sawarkar, Wildlife Institute of India, Dehra Dun" एवं "Guidelines for ecodevelopment planning, Wildlife Institute of India, DehraDun") Pabla, H.S.; Pandey, S.; Badola, R. (1995) में दिए मूलभूत मानकों को अपेक्षित पालन किये जाने की परियोजना की स्वीकृति की अवधारणा में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही क्षतिपूरक वनरोपण में वन्यप्राणियों के भोजन अनुकूल वृक्ष प्रजातियों का वनरोपण भी अपेक्षित होगा।

(18)

4) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना क्षेत्र के भीतर और आसपास के क्षेत्रों पर विषय वस्तु विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के माध्यम से पारिस्थितिकी, और वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर परियोजना के संभावित प्रभाव का आकलन किए जाना अपेक्षित होगा। यह landscape areas में वनस्पतियों और जीवों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है और इस हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा rare/endangered/unique species of flora and fauna को Jharkhand हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (BSI) द्वारा दी list of threatened plant species endemic to region, और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखंड की जीव-जंतु लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास वैज्ञानिक डेटा का सत्यापन कर पारिस्थितिकी के संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

5) परियोजना क्षेत्र के आसपास वन्यजीवों के आवासों के गंभीर विखंडन के कारण हाथियों की आजाजाही के पहले से ही प्रतिबंधित क्षेत्र, और झारखंड में नए क्षेत्रों में फैल रही हाथियों की आबादी के परिदृश्य को देखते हुए संघर्ष क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा भी विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी। यह मानव-हाथी सह-अस्तित्व क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देकर किया जा सकता है ताकि परियोजना क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में वन्यजीव शमन उपायों के माध्यम से हाथियों के साथ-साथ मानव के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके |

6) उपरोक्त सभी बिन्दुओं का ध्यान में रखते हुए, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सहायता से, परियोजना प्रस्ताव क्षेत्र के प्रभावित होने वाले क्षेत्र हेतु हाथियों और मानव-हाथी सह-अस्तित्व क्षेत्र के प्रबंधन के लिए विशेष रणनीतिक कार्य योजना और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों व जीव-जंतुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों और पड़ने वाले संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव सहित चाईबासा-टोन्टो-रोआम पथ के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 58.825 तक चौडीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य से उद्भूत वन्यप्राणियों के habitat Fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पडने के परिपेक्ष्य में Project Cost पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में एक "एकीकृत साइट विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण, प्रबंधन और शमन योजना" तैयार कर इसे समथबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड